(13)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
138/2024	30/05/2024	12/05/2025

— उनवान —

1. शंकर पुत्र चीमा (दौराने वाद फौत)
   1/1. गजानन्द पुत्र शंकर
   1/2. रामधन पुत्र शंकर
   1/3. धोलूराम पुत्र शंकर
   1/4. भोरी देवी पुत्री शंकर
   1/5. रूकमणी पुत्री शंकर
   1/6. काली देवी पुत्री शंकर
   जाति मीना निवासी ग्राम मानोता तहसील जमवारामगए, जिला जयपुर राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभाती पत्नि धन्नाराम जाति मीना निवासी ग्राम मेंदला जूझाझपुरा सीराम की ढाणी, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।
2. रमा पत्नि ओमप्रकाश जाति श्रीवास्तव निवासी ग्राम नायला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।
3. धन्नी पतिन नारायणसहाय जाति मीना निवासी ग्राम मानोता तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।
4. कृष्णा पत्नि श्योराम
5. बिरदाराम पुत्र मंगलाराम
6. बोदराज पुत्र मंगलाराम
7. रामजीलाल पुत्र मंगलाराम समस्त जाति मीना निवासी ग्राम मानोता तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राज0।
8. शाखा प्रबंधक स्टेट बैक ऑफ इण्डिया (एस0बी0बी0जे0) शाखा कानोता जिला जयपुर राज0।
9. शाखा प्रबंधक स्टेट बैक ऑफ इण्डिया (एस0बी0बी0जे0) शाखा बस्सी, जिला जयपुर राज0।
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री रामस्वरूप शर्मा — वकील प्रार्थीगण।
श्री सत्यपाल गुर्जर — वकील अप्रार्थी सं0 1, 3, , 5, 6, 7

प्रार्थनापत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251–ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

–:निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री रामस्वरूप शर्मा के प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 318/229 रकबा 0.8852है0 ग्राम मानोता, पटवार हल्का मानोता तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0 में स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 318/229 में चारों ओर से कोई आने जाने के लिये राजस्व नक्शें में रास्ता नही है। प्रार्थी के खसरा नमबर 318/229 में आने जाने के खसरा नम्बर 222 रकबा 3.7935है0 व खसरा नम्बर 229/2 रकबा 2.0232है0 में से 15 फिट चोडा रास्ता मौके पर कदमी बना हुआ है। मौके पर चालु है। जिसमें से प्रार्थी कई सालो से आते जाते है। प्रार्थी का खसरा नम्बर 318/229 रकबा 0.8852है0 के लगवा 229/2 व 222 के बाद खसरा नम्बर 221 व 222 की सीमा मे सलग्न नक्शा के अनुसार मौके पर चालू मानोता भावपुरा डामर रोड तक आते जाते रहे है। लेकिन अप्रार्थीगण के मन में कुछ समय से बदनियती आने से आने जाने वाले रास्ता पर बाधा उत्पन्न करते है। तो प्रार्थी ने कई बार रास्ता देने के लिये अप्रार्थीगणों से सहमति के आधार पर देने हेतु आग्रह किया लेकिन अप्रार्थीगण रास्ता देने के लिये इन्कार हो गये। प्रार्थी व उनके परिवार को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 318/229 मे आने जाने हेतु लम्बे समय से रास्ता का उपयोग करने के आधार पर तहसीलदार को राजस्व रिकार्ड मे 15 फिट चौडा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के लिये पूर्व मे एक प्रार्थना पत्र दिनांक 23.05.2024 को पेश किया तो तहसीलदार महोदय ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नक्शा में रास्ता अंकन नही करने हेतु कहा। इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः ग्राम मानोता पटवार हल्का मानोता तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0 स्थित प्रार्थ की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 318/229 रकबा 0.8852है0 मे आने जाने के लिये अप्रार्थी सं0 1–3 की भूमि खसरा नम्बर 222 रकबा 3.7935है0 एवं अप्रार्थी सं0 4–7 की भूमि खसरा नम्बर 229/2 रकबा 2.0232है0 मे से मानोता से भावपुरा डामर रोड (खसरा नम्बर 222 व 221 की सीमा मे मौके पर डामर स्थित) तक संलग्न नजरी नक्शानुसार 15 फिट चौडा गै0मु0रास्ता राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व नक्शा में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज0 काश्तकारी अधि0 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाकर से तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1, 3, 4, 5, 6, 7 ने जरिये अधिवक्ता श्री सत्यपाल गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया व दिनांक 07.04.25 को प्रारम्भिक आपत्ति मय जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं0 2, 8, 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अप्रार्थी सं0 2, 8, 9 को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः दिनांक 08.05.2025 को अप्रार्थी सं0 2, 8, 9 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लागई गई।

वकील अप्रार्थी सं0 1, 3, 4, 5, 6, 7 ने अपनी जवाब व बहस में प्रारम्भिक आपत्ति व जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी/मिनउत्तरदाता की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 222 रकबा 3.7935है0 के लगवा कोई सार्वजनिक रिकार्डेड रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित नही है जबकि 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्पष्ट प्रोविजन है कि जिस भूमि के लिये रास्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जा रहा है उक्त रास्ते को अन्तिम रूप से सार्वजनिक रास्ते से जोडा जावेगा लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा यह कही नही अंति किया कि मिनउत्तरदाता की भूमि से होते हुए रास्ते को कोन से रिकार्डेड रास्ते से जोडा जावें ऐसी स्थिति में प्रार्थी/मिनउत्तरदाता की भूमि से किसी भी प्रकार का कोई रास्ता प्राप्त करने का हक अधिकारी नही है। मिनउत्तरदाता की भूमि खसरा नम्बर 222 व 229/2 में प्रार्थी का कोई कदमी रास्ता नही है बल्कि पूर्व में प्रार्थी खसरा नम्बर 224 से होता हुा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 318/229 में आता जाता रहा है। लेकिन खसरा नम्बर 224 के खातेदार ने अपने खेत पर पुख्ता बाउन्ड्रीवाल का निर्माण करवा लिया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा बदनियती पूर्व प्रार्थी ने मिनउत्तरदाता की भूमि से रास्ता चाहा है। उक्त स्थान पर कई वर्षो पूर्व से कदमी वृक्ष नीम, अरडू, बोली आदि लगे हुये है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शें अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिया जाना संभव नही है। प्रार्थी की भूमि में जाने का सबसे निकट रास्ता आबादी रास्ता खसरा नम्बर 225 व 319/229 से होते हुये है व इससे दूरी का रास्ता खसरा नम्बर 222 के दक्षिण से खसरा नम्बर 222/288, 230, 222, 229/2 की सीमा मेड संलग्न नजरी नक्शे

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

अनुसार है तो उक्त दोनों रास्तो की दूरी प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की दूरी से कम है व उक्त सभी खातेदारों को भी रास्ता मिलने से रास्ते की समस्या होगी। मिनउत्तरदाता की भूमि खसरा नम्बर 222 व 229/2 मे कोई कदमी रास्ता बना हुआ नही है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 318/229 मे जाने हेतु खसरा नम्बर 224 मे से कदमी रास्ता बना हुआ था लेकिन खसरा नम्बर 224 के खातेदारी ने पुख्ता बाउन्ड्रीवाल निर्माण कर लिया जिसके बाद से प्रार्थी आबादी भूमि से होते हुये खसरा नमबर 225 से होते हुये 319/229 से होते हुए 318/229 पर आता जाता रहा है तथा उक्तानुसार ही मौके पर कदमी रास्ता बना हुआ है। प्रार्थी पूर्व में खसरा नम्बर 224 से होता हुआ अपनी खातेदारी भूमि में आता जाता रहा है। व खसरा नम्बर 224 के खातेदार द्वारा पुख्ता बाउण्ड्री निर्माण किये जाने के पश्चात आबादी भूमि से लगवा खसरा नम्बर 225 व 319/229 से होता हुआ अपनी खातेदारी मे आता जाता है। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जाने हेतु सबसे निकटतम रास्ता आबादी रास्ते से होता हुआ खसरा नम्बर 225 व 319/229 से होता हुआ प्रार्थी की भूमि पर बनता है व इसके अलावा दूसरा नजदीकी रास्ता खसरा नम्बर 222/288, 230, 222, 229/2 की सीमामेड से होता हुआ प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक बनता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शें अनुसार चाहा गया रास्ता धारा 251 ए के प्रावधानों के विपरित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र काबिले खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी सं0 10 (पैरोकार सरकार तहसीलदार जमवारामगढ) ने अपने पत्रांक /एलआर/24/5502 दिनांक 14.10.24 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मानोता के आराजी खसरा नम्बर 318/229 रकबा 0.8852है0 भूमि वर्तमान में रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार वादी की खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 318/229 तक पहुच हेतु रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अकन करवाना चाहा है। वादी द्वारा खसरा नम्बर 222 जिसके पश्चिमी भाग पर स्थित डामर सडक खसरा नम्बर 222 की उत्तरी सीमा व खसरा नम्बर 229/2 की उत्तरी सीमा होकर वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 318/229 तक पहुच हेतु रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवाना चाहा है। उक्त नम्बरान में प्रस्तावित रास्ते में 5–7 हरे वृक्ष आ रहे है। मौके पर स्थित डामर सडक से खसरा नम्बर 222 के उत्तरी सीमा में से 190 मीटर व खसरा नम्बर 229/2 में से 88 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा अर्थात कुल लम्बाई 278 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल 1112 वर्गमीटर जिसका प्रस्तावित नजरी नक्शा संलग्न है।

अतः बहस वकील उभय पक्षों की सुनने व पैरोकार सरकार का जवाब व पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम मानोता, पटवार हल्का मानोता, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 318/229 रकबा 0.8852है0 मे आवागमन अप्रार्थीगणों की खसरा नम्बर 222 के उत्तरी सीमा में से 190 मीटर व खसरा नम्बर 229/2 में से 88 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा अर्थात कुल लम्बाई 278 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल 1112 वर्गमीटर रास्ते के रूप में भूमि को गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक बिला लगानी) के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर अमल करे एवं उक्तानुसार राजस्व नक्शें में तरमीम करे, रास्ते की भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 राशि से गणना कर दोगुना राशि अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 7 को हिस्से अनुसार दिलवाई जाने के उपरान्त अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 7 के राजस्व नक्शे मे उक्तानुसार किस्म गै.मु. रास्ता कायम किया जावें। नक्शा दुरूस्त कर उक्तानुसार रास्ता कायम करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 12.05.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ